# ग्राम पंचायत कैलाशपुर, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

## भाग–एक

**1. प्रस्तावना (क):–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कैलाशपुर, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत कैलाशपुर में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:–**

**प्रधान :–**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | श्री ज्ञान चन्द | 01.04.2021 से 31.03.2023 |

**सचिव :–**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | श्री रमहिन्दर सिंह | 01.04.2021 से 31.07.2021 |
| 2. | श्री अनिल कुमार | 01.08.2021 से 23.06.2022 |
| 3. | श्रीमति पंकज कुमारी | 24.06.2022 से 31.03.2023 |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–**

ग्राम पंचायत कैलाशपुर के लेखों अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

| क्र0 सं0 | पैरा संख्या | अनियमितताओं का संक्षिप्त सार | राशि (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.1 | रोकड़ बही से बैंक खातों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही | 0.58 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | एवं बैक खातों के अन्तशेष में अन्तर पाया जाना । | |
| 2 | 6 | अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना | 19.92 |
| 3 | 7 | पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना । | 0.73 |
| 4 | 8 | खनन आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की वसूली न करने के फलस्वरूप सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि | 0.65 |
| 5 | 9 | औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना | 1.96 |
| 6 | 10 | अनुमोदित दरों से अधिक भुगतान करना | 0.05 |

## भाग–दो

**2. वर्तमान अंकेक्षण :–**

ग्राम पंचायत कैलाशपुर, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 तक के लेखों का अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 27.03.2024 से 04.04.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

| वित्तीय वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|
| 2021–22 | 03/2022 | 07/2021 |
| 2022–23 | 03/2023 | 05/2022 |

**अस्वीकरणः–** इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया

है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

**3. अंकेक्षण शुल्क :–**

ग्राम पंचायत कैलाशपुर, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/– बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 143 दिनांक 04.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया ।

**4. वित्तीय स्थिति :–**

ग्राम पंचायत कैलाशपुर, विकास खण्ड पंचरूखी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

**(1) स्वः स्त्रोत** :– ग्राम पंचायत कैलाशपुर के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | ब्याज | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–22 | 577190.30 | 33800.00 | 20998.00 | 631988.30 | 33745.00 | 598243.30 |
| 2022–23 | 598243.30 | 46579.00 | 27350.00 | 672172.30 | 41988.00 | 630184.30 |

**(2) अनुदान** : ग्राम पंचायत कैलाशपुर के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में दिया गया है :–

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | ब्याज | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–22 | 1399417.26 | 5217218.00 | 52450.00 | 6669085.26 | 4491171.72 | 2177913.54 |
| 2022–23 | 2177913.54 | 5155653.59 | 46384.00 | 7379951.13 | 5387607.89 | 1992343.24 |

बैंक समाधान विवरणी :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC,15th FC, SDP, MMGAY,RGSA | | | |
| A/c No.20054004934 | KCCB Panchrukhi | | 243627.2 |
| A/c No. 87850100060418 | HGB Bhuana | | 408635.3 |
| A/c No. 87850100054736 | HGB Bhuana | | 11504.64 |
| A/c No.87850100054754 | HGB Bhuana | | 67052.6 |
| A/C No. 87850100054781 | HGB Bhuana | | 13512.8 |
| A/c No. 87850100060803 | HGB Bhuana | 15th FC | 1819894 |
| | | cash in hand | 0 |
| | | **Total** | **2564227** |

| | | |
|---|---|---|
| Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source) | | 630184.3 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | | 47182 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | | 8052.6 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | | 1819894 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | | 109973 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | | 11504.64 |
| | | -4263 |
| | **Total** | **2622528** |
| | **diffrence** | **58300.94** |

## 4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹0.58 लाख का अन्तर पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2023 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹58,300.94 बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण

अधियाचना संख्या 144 दिनांक 04.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीके–01 दिनांक 10.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार रोकड़ बही व बैंक शेष राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

**4.2 पंचायत के लेखें खातों का रख रखाव नियमानुसार न करना :–**

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 145 दिनांक 04.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीके–01 दिनांक 10.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता "क" व "ख" का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

**5. निवेशः–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है । दिनांक 31.03.2023 को पंचायत की सभा निधि में ₹6,30,184/–की राशि शेष थी, जोकि अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत द्वारा कृत व्यय के दृष्टिगत बहुत अधिक थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 146 दिनांक 04.04.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीके–01 दिनांक 10.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाते की छानबीन करने उपरान्त अतिरिक्त राशि को सावधि में निवेश कर लिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

## 6. अनुदान राशि ₹19.91 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान ₹19,92,343.00 की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अतः शेष अनुदान की उक्त राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित

संस्था को किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

**7. पंचायत राजस्व ₹0.73 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जानाः–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2023 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021–22 व 2022–23 में ₹50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2023 को निम्न विवरणानुसार **(परिशिष्ट–2)** पंचायत का कुल राजस्व ₹ 73,380/– (सम्पत्ति कर ₹ 72,180/– व विवाह पंजीकरण शुल्क ₹ 1200/–) वसूली हेतु शेष थाः–

**सम्पत्ति करः–**

| वर्ष | अथशेष (₹) | गृहकर की माँग (₹) | योग (₹) | प्राप्ति (₹) | वसूली हेतू शेष राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021–22 | 45980 | 45000 | 90980 | 27100 | 63880 |
| 2022–23 | 63880 | 45000 | 108880 | 36700 | 72180 |

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 147 दिनांक 04.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीके–01 दिनांक 10.04.2024 द्वारा अकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेंगे तथा बकाया राशि ₹72,180/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत एवं हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

### 7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹1200/– की वसूली न करने बारे :–

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹ 200/– (बी0पी0एल0 परिवार ₹25/–)एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400/–(बी0पी0एल0 परिवार ₹ 50/–) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वर्ष 2021–22 व 2022–23 में निम्न विवरणानुसार ₹1200/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल नहीं किये गये थे:–

| क्र0 सं0 | विवाह पंजीकरण संख्या | नाम | विवाह की तिथि | पंजीकरण की तिथि | वसूली योग्य राशि (₹) | वसूली गई राशि | वसूली हेतु शेष राशि। (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | शिखा शर्मा पुत्री श्री रविन्द्र कुमार | 03.07.21 | 26.07.21 | 200 | 0 | 200 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 03 | अजय कुमार पुत्र श्री जोवन राम | 18.11.20 | 24.09.21 | 400 | 200 | 200 |
| 3 | 09 | मिनाक्षी पुत्री श्री राम कुमार | 20.10.21 | 22.11.21 | 400 | 200 | 200 |
| 4 | 13 | राजीव कुमार पुत्र श्री केहर सिंह | 07.11,21 | 16.12.21 | 400 | 200 | 200 |
| 5 | 14 | शशी बाला पुत्री प्रकाश चन्द | 26.01.23 | 10.03.23 | 400 | 200 | 200 |
| 6 | 17 | अंकुश शर्मा पुत्र श्री विनोद कुमार | 17.02.23 | 15.03.23 | 200 | 0 | 200 |
| | | | | | | | 1200 |

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 148 दिनांक 04.04.2024 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीके–01 दिनांक 10.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण की वसूली करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

### 7.3 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि ₹ 5,225/– को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि०प्र० शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय–समय पर वसूल करने उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0235–00–800–03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹ 5,225/–** वसूली की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था :–

| क्र0 सं0 | वित्तीय वर्ष | विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि । |
|---|---|---|
| 1 | 2021—22 | 2575.00 |
| 2 | 2022—23 | 2650.00 |

उक्त विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 149 दिनांक 04.04.2024 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीके—01 दिनांक 10.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः उक्त नियम प्रावधानानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क को सम्बन्धित शीर्ष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

**7.4 विवाह पंजीकरण की वसूल की गई राशि ₹ 2800/—को बैंक में जमा न करवाने बारेः—**

अंकेक्षण के दौरान पाया कि रसीद संख्या 031 से 045 तक विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ 2800/— की वसूली की गई थी परन्तु उक्त राशि को न तो रोकड बही में दर्ज किया गया और न ही बैंक में जमा करवाया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 150 दिनांक 04.04.2024 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीके—01 दिनांक 10.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ₹ 2800/— को जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः वसूल की गई राशि को शीघ्र बैंक में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

**8. आपूर्तिकर्ता के बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में राशि ₹0.65 लाख की रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप सरकारी राजस्व की सम्भावित हानिः–**

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रॉजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार **₹**64,728/– **(परिशिष्ट–3)** का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 151 दिनांक 04.04.24 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या जीपीके–01 दिनांक 10.04.24 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है, भविष्य में रॉयल्टी की कटौती करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार ट्रॉजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 % पैनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः **₹**64,728/– के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस मामले को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके हि0 प्र0 सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fee and Royalities, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :–

| बिल का विवरण | मद नाम | मात्रा (cft) | मात्रा (cum) | निर्धारित फैक्टर | मात्रा मिट्रिक टन | रॉयल्टी (प्रति मि0 टन) | राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2021—22 | रेत | 2805 | 79.43 | 1.62 | 128.67 | 60 | 7720.00 |
| | बजरी | 4705 | 133.24 | 1.52 | 202.52 | 60 | 12151.00 |
| | बोल्डर | 3020 | 85.52 | 2.24 | 191.56 | 60 | 11494.00 |
| | | | | | | **कुल :** | **31365.00** |
| प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2022—23 | रेत | 1645 | 46.58 | 1.62 | 75.45 | 80 | 6036.00 |
| | बजरी | 2924 | 82.80 | 1.52 | 125.85 | 80 | 10068.00 |
| | बोल्डर | 850 | 24.07 | 2.24 | 53.91 | 80 | 4313.00 |
| | | | | | | **कुल :** | **20417.00** |
| | | | | **कुल 2021—22 व 2022—23** | | | **51782.00** |
| | | | | | पैनल्टी 25 % | | 12950.50 |
| | | | | | **कुल योग:** | | **64727.50** |

## 9. औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹1.96 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹ 1,96,382/— के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था एवं समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त सामग्री की माँग अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 152 दिनांक 04.04.2024 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीके—01 दिनांक 10.04.24 द्वारा अंकेक्षण को

सूचित किया गया कि किये गये क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जायेगी ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

| वाउचर संख्या व दिनांक | बिल का विवरण | सामग्री का विवरण | राशि | कार्य का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 21, 01.07.21 | बिल नं0 968 दि0 12.04.21 मै0 वी0के0 सोनी | सरिया | 9562.00 | नि0 शौचालय पंचायत घर 14th FC |
| 25, 01.07.21.21 | बिल नं0 28 दि0 शून्य राकेश बैल्डिंग वर्क्स | एन्गल | 4200.00 | नि0 शौचालय पंचायत घर 14th FC |
| 02, 22.10.22 | बिल नं0 226 दि0 13.04.22 मै0 कुलवन्त सिंह | सैनिटरी फिटिंग | 10000.00 | नि0 पंचवटी पार्क 14th FC |
| 14, 20.05.22 | बिल नं0 1234 दि0 01.04.22 मै0 वी0के0 एण्ड ब्रदर्ज | सरिया | 48179.00 | अपवर्धन पंचायत घर RGSA |
| 15, 20.05.22 | बिल नं0 1235 दि0 02.04.22 मै0 वी0के0 एण्ड ब्रदर्ज | सरिया | 45211.00 | अपवर्धन पंचायत घर RGSA |
| 16, 20.05.22 | बिल नं0 1236 दि0 03.04.22 मै0 वी0के0 एण्ड ब्रदर्ज | सरिया | 45204.00 | अपवर्धन पंचायत घर RGSA |
| 17, 20.05.22 | बिल नं0 1237 दि0 04.04.22 मै0 वी0के0 एण्ड ब्रदर्ज | सरिया | 34026.00 | अपवर्धन पंचायत घर RGSA |
| | | **कुलः** | **196382.00** | |

**10. निर्माण सामग्री के क्रय में अनुमोदित दरों से ₹0.05 लाख के अधिक भुगतान बारे :–**

वर्ष 2021–22 में आमन्त्रित निविदाओं की जाँच में पाया कि पंचायत में ईंट, रेत, बजरी के क्रय हेतु न्यूनतम निविदा के अन्तर्गत मै0 गुलशन राणा की दरें अनुमोदित की गई थी । निविदा में सामग्री की दरों के अतिरिक्त जी0एस0टी0 अलग

से लेने की कोई शर्त भी नहीं लगाई गई थी अर्थात निविदा में दरें जी0एस0टी0 सहित भरी गई थीं, लेकिन बिलों की जाँच में पाया कि निम्नलिखित वाउचरों में आपूर्तिकर्ता को जी0एस0टी0 का अतिरिक्त भुगतान करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 153 दिनांक 04.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीके–01 दिनांक 10.04.24 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत तथ्यपूर्ण अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान राशि ₹4745.00 की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

| वाउचर सं0 व दिनांक | बिल सं0 व दिनांक | सामग्री का विवरण | भुगतान की गई राशि (₹) | भुगतान योग्य राशि (₹) | अधिक भुगतान (₹) | कार्य का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22, 01.07.21 | 264, 08.04.21 | 1000 नं0 ईटें दर 8.50 प्रति | 8925.00 | 8500.00 | 425.00 | नि0 शौचालय पंचायत घर 14th FC |
| 30 03.03.22 | 353, 11.02.22 | रेत बजरी | 41580.00 | 39600.00 | 1980.00 | नि0 जीप योग्य रोड राज कुमार के घर से विक्रम चन्द MMGAY |
| 31, 03.0322 | 348, 10.02.22 | रेत बजरी | 49140.00 | 46800.00 | 2340.00 | नि0 रास्त व्रिजपाल घर से प्रेम चन्द घर तक MMGAY |
| | | | | | **4745.00** | |

**12. क्रय की गई सामग्री के लिए आपूर्तिकर्ताओं को नगद भुगतान करने बारेः–**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उपनियम 10(2) के अनुसार अधिनियम की धारा 99 की उप धारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन सचिव या पंचायत सहायक ग्राम पंचायत का रोकड़िया होगा जो ग्राम

पंचायत के लेखों से या धन/संदायों का प्रत्याहरण या निक्षेप करने को सक्षम होगा, परन्तु सामग्री के क्रय के लिए प्रदायक को किये जाने वाले संदाय केवल क्रास चैक द्वारा ही किये जायेंगे।

अंकेक्षण के दौरान पंचायत के अभिलेखों के अवलोकन पर पाया कि निम्नलिखित अदायगियाँ नगद की गई थीं, जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये :–

| क्र0 सं0 | वाउचर संख्या व दिनांक | क्रय की गई सामग्री | भुगतान की गई राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 03, 27.06.21 | बिजली बिल | 800.00 |
| 2 | 01, 04.04.22 | बिजली बिल | 954.00 |
| 3 | 04, 20.05.223 | कार्यालय व्यय | 2465.00 |

अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में की जाने वाली अदायगियाँ उपरोक्त नियम के अनुसार ही की जायें व कृत सुधारात्मक अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

**13. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राकल्लन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :–**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है । अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार करवाये गये विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके अभाव में किये गये कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर पर व्यय, खपत एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जोकि लेखा परीक्षा के प्रति न सिर्फ उदासीनता को परिलक्षित करता है अपितु निर्माण कार्यों में हुए व्यय को भी सन्देहजनक बनाता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 154 दिनांक 04.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या

जीपीके–01 दिनांक 10.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिये जायेगें ।

| | |
|---|---|
| 1 | नि0 अपवर्धन पंचायत घर RGSA |
| 2 | नि0 जीप योग्य रोड राज कुमार के घर से विक्रम के घर तक MMGAY |
| 3 | नि0 रास्त ब्रिजपाल के घर से प्रेम चन्द घर की ओर MMGAY |

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

## 14. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

| क्र0 सं0 | रजिस्टर का प्रकार/विवरण | प्रारूप | सन्दर्भित नियम |
|---|---|---|---|
| 1 | रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर | 4 | 13(5) |
| 2 | अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर | 9 | 30 |
| 3 | विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 | 7 | 34 |
| 4 | प्रकीर्ण मॉग व संग्रहण रजिस्टर | 10 | 33, 77(4) |
| 5 | बजट प्राकल्लन | 11, 12 | 37, 38 |
| 6 | बिल रजिस्टर | 13 | 48 |
| 7 | मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर | 27 | 72 (1)(ग) |
| 8 | माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर | | 101(2) (V) |
| 9 | वर्गीकृत सार | 8 | 29 (4) |

**15. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :—**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

**16. लघु आपत्ति विवरणिका :—** इसे अलग से जारी नहीं किया गया, अपितु छोटी—छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

**17. निष्कर्ष :—**लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

01 JUL 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का0/पृ0
3060 – 3064

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)405/2024—खण्ड—1 दिनॉक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी कॉंगड़ा, जिला कॉंगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला कॉंगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत कैलाशपुर, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला कॉंगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

01 JUL 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का0/50

# परिशिष्ट–1

## अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Kailashpur" for the year endec 2021-22

| Sr.no. | Particulars | Op.Balance | Receipt | Interest | Total | Expenditure | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS, ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 SFC | 17567 | 222265 | 0 | 239832 | 198160 | 41672 |
| 3 | VKVNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 14TH FC | 1032290.26 | 150025 | 20563 | 1202878.26 | 1100303.72 | 102574.5 |
| 5 | 15TH FC | 346654 | 674677 | 23376 | 1044707 | 0 | 1044707 |
| 6 | SBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SJVN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NC | 2906 | 0 | 811 | 3717 | 0 | 3717 |
| 9 | SDP | 0 | 395663 | 3711 | 399374 | 231995 | 167379 |
| 10 | VMJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MMAGY | 0 | 500000 | 3989 | 503989 | 182384 | 321605 |
| 12 | RGSA | 0 | 800000 | | 800000 | 303741 | 496259 |
| 13 | MNREGA | 0 | 2474588 | 0 | 2474588 | 2474588 | 0 |
| | Total Rs. | 1399417.26 | 5217218 | 52450 | 6669085.26 | 4491171.72 | 2177914 |

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Kailashpur" for the year endec 2022-23

| Sr.no. | Particulars | Op.Balance | Receipt | interest | Total | Expenditure | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS, ZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 SFC | 41672 | 173300 | 0 | 214972 | 167790 | 47182 |
| 3 | VKVNY | 0 | 269000 | 1405 | 270405 | 262352.4 | 8052.6 |
| 4 | 14TH FC | 102574.54 | 0 | 1580 | 104154.54 | 104154.54 | 0 |
| 5 | 15TH FC | 1044707 | 1186319 | 38137 | 2269163 | 449269 | 1819894 |
| 6 | SBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SJVN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NC | 3717 | 0 | 105 | 3822 | 3822 | 0 |
| 9 | SDP | 167379 | 145282 | 1506 | 314167 | 204194 | 109973 |
| 10 | VMJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MMAGY | 321605 | 493000 | 3651 | 818256 | 806751.36 | 11504.64 |
| 12 | RGSA | 496259 | 0 | | 496259 | 500522 | -4263 |
| 13 | MNREGA | 0 | 2888752.59 | 0 | 2888752.59 | 2888752.59 | 0 |
| | Total Rs. | 2177913.54 | 5155653.59 | 46384 | 7379951.13 | 5387607.89 | 1992343 |

Balance as per Bank on 31.03.22

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Own Source, Relief,5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SDP, RGSA | | | 243627.2 |
| A/c No.20054004934 | KCCB Panchrukhi | | 408635.3 |
| A/c No. 87850100060418 | HGB Bhuana | | 11504.64 |
| A/c No. 87850100054736 | HGB Bhuana | | 67052.6 |
| A/c No.87850100054754 | HGB Bhuana | | 13512.8 |
| A/C No. 87850100054781 | HGB Bhuana | | 0 |
| A/c No. 87850100060803 | HGB Bhuana | 15th FC | 1819894 |
| cash in hand | | | 0 |
| | | Total | 2564227 |

| | |
|---|---|
| Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source) | 630184.3 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | 0 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | 47182 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | 8052.6 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | 0 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | 1819894 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | 0 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | 0 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | 0 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | 109973 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | 11504.64 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 | -4263 |
| | 0 |
| Total | 2622528 |
| diffrence | 58300.94 |

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत, कैलाशपुर
वि० खण्ड पंचरुखी (कांगड़ा)

0

**Financial Position of Own sources in r/o GP Kailashpur**

| Years | Op.Balance | Receipt | Instt. | Total | Expenditure | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 577190.3 | 33800 | 20998 | 631988.3 | 33745 | 598243.3 |
| 2022-23 | 598243.3 | 46579 | 27350 | 672172.3 | 41988 | 630184.3 |

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत, कैलाशपुर
वि. खण्ड पंचरुखी (कांगड़ा)

परिशिष्ट-2

(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 के सन्दर्भ में)

**List of outstanding Property tax for the period of 2021-22 & 2022-23 in r/o** GP Kailashpur **Distt.Kangra,H.P.**

| Years | Op.Balance | Demand during the year | Total | Collection during the year | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 45980 | 45000 | 90980 | 27100 | 63880 |
| 2022-23 | 63880 | 45000 | 108880 | 36700 | 72180 |
| | | | | | |

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत, कैलाशपुर
वि. खण्ड पंचरुखी (कांगड़ा)

पंच

Print Date: **03/04/2024**

( अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8 के संदर्भ में )

Name of Gram Panchayat kailashpur dev. Block panchrukhi distt kangra H.P

2021-2022

| sr. no. | name of work | head | vendor name | voucher no and date | bill no | bill date | sand cft | bajri cft | boulder | bricks no. | amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C/O TOILET PANCHAYAT GHAR GP KAILASHPUR | 14TH FC | the killi co-operative agriculture society | 17/4/2021 VRNO.14 | 213 | 2/6/2020 | 105 | 205 | | | 12200 |
| | | | m/ gulshan rana | 1/7/2021 VR NO.22 | 264 | 8/4/2020 | | | | 1000 | 8925 |
| | | | m/ gulshan rana | 1/7/2021 VR NO.24 | 263 | | 150 | 100 | | | 4436 |
| | | | | 7/7/2022 VR NO.8 | 175 | 7/6/2019 | 100 | 200 | 120 | | 17800 |
| | C/O DANGA MANGET RAM S/O THOGALI RAM | SDP | | | | | | | | | |
| 1 | c/o shamshanghat harizan basti wno.3 | mnrega | the killi co-operative agriculture society | 6/7/2021 | 297 | | 200 | 300 | 200 | | 26800 |
| 2 | c/o aramghat harizan basti | mnrega | the killi co-operative agriculture society | 6/7/2021 | 292 | | | | 200 | | 7000 |
| 3 | | | the killi co-operative agriculture society | 6/7/2021 | 296 | 4/6/2020 | | | 200 | | 7000 |
| 4 | c/o aramghat naya pani | mnrega | the killi co-operative agriculture society | 6/7/2021 | 291 | | 200 | 300 | 200 | | 26800 |
| 5 | c/o road from main road towards narayan dass | mnrega | the killi co-operative agriculture society | 6/7/2021 | 290 | 2/6/2020 | 100 | 300 | 400 | | 29600 |
| 6 | c/o road main road towards bhind ram house towards | mnrega | the killi co-operative agriculture society | 6/7/2021 | 294 | 8/6/2020 | 200 | 300 | 300 | | 30300 |
| 7 | c/o path from maintowards bai da nala | mnrega | the killi co-operative agriculture society | 6/7/2021 | 315 | 9/6/2020 | 300 | 500 | 300 | | 42100 |
| 8 | c/o rasta sawraturu ram house towards navi kishore | mnrega | the killi co-operative agriculture society | 6/7/2021 | 295 | 4/6/2020 | 100 | 300 | 300 | | 26100 |
| 9 | c/o rasta jagdish house towards mast ram house | mnrega | the killi co-operative agriculture society | 6/7/2021 | 293 | 3/6/2020 | 100 | 200 | | | 10800 |
| 10 | c/o nalli rasta main road towards om prakash house | mnrega | the killi co-operative agriculture society | 6/7/2021 | 265 | 2/1/2020 | 200 | 300 | | | 19800 |
| 11 | c/o rasta rajesh house to leela house | mnrega | the killi co-operative agriculture society | 6/7/2021 | 266 | 21/1/2020 | 200 | 300 | | | 14300 |
| 12 | c/o kuhal sandhya devi house to shiv kumar house | mnrega | the killi co-operative agriculture society | 6/7/2021 | 267 | 12/2/2020 | 200 | 300 | | | 19800 |
| 13 | c/o water tank jatinder katoch | mnrega | the killi co-operative agriculture society | 6/7/2021 | 311 | 8/6/2020 | 200 | 200 | | | 16000 |
| 14 | c/o rasta asheesh house to ridu nag | mnrega | the killi co-operative agriculture society | 6/7/2021 | 314 | 8/6/2020 | 250 | 400 | 300 | | 36200 |
| 15 | c/o nali manohar house to parmod house | mnrega | the killi co-operative agriculture society | 6/7/2021 | 306 | 7/6/2020 | 200 | 400 | 200 | | 30600 |
| 16 | c/o rasta mainto to babri | mnrega | the killi co-operative agriculture society | 6/7/2021 | 299 | 5/6/2020 | | 100 | 300 | | 14300 |
| | | | | | | | 2805 | 4705 | 3020 | 1000 | |

21

प्रधान ग्राम पंचायत, कैलाशपुर, वि० खण्ड पंचरुखी (कांगड़ा)